न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00016

1. चौथमल आत्मज रामसुख ।
2. सूरजमल आत्मज रामसुख ।
3. धन्ना लाल आत्मज रामसुख ।
4. तुलसा बाई बेवा रामसुख ।
5. गणेशराम पुत्र ग्यारसी लाल ।
6. अर्जुन पुत्र किशनलाल जाति कुम्हार निवासीगण मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. शकिला पुत्री कल्ला जी ।
2. जकीया पुत्री कल्ला
3. हसीना पुत्री कल्ला जाति मुसलमान निवासी गोविन्द नगर, कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहीसलदार, दीगोद जिला कोटा ।
5. जुम्मे खॉ आत्मज अमीर बख्श जाति मुसलमान निवासी, विजय मोहल्ला गली नं0 08 मकान नं0 12 ए 5 डी/मोगपुर दिल्ली – 53 ।
6. शानु पुत्री रामसुख पत्नी छोटूलाल ।
7. मोती लाल पुत्र पांचू लाल (नाम तर्क) ।
8. अनुराग पुत्र पांचूलाल ।
9. सुरज्या बाई पुत्री पांचू लाल ।
10. रामनारायणी बेवा पांचूलाल जाति कुम्हार निवासीगण मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2017/00231

तुलसा बाई बेवा रामसुख जाति कुम्हार निवासीगण मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. शकिला पुत्री कल्ला जी ।
2. अख्तर हुसैन पुत्र मोहम्मद याकूब ।
3. ताहिर हुसैन पुत्र मोहम्मद याकूब ।

4. साजिदा उर्फ सजो पुत्री मोहम्मद याकूब जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला इमामबाडा झालावाड ।
5. हसीना पुत्री कल्ला जाति मुसलमान निवासी गोविन्द नगर, कोटा ।
6. चौथमल आत्मज रामसुख ।
7. सूरज मल आत्मज रामसुख ।
8. धन्ना लाल आत्मज रामसुख ।
9. शानु पुत्री रामसुख पत्नी छोटूलाल ।
10. मोती लाल पुत्र पांचू लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    10/1. ओमप्रकाश आत्मज मोती लाल ।
    10/2. राजू आत्मज मोतीलाल ।
    10/3. विमला आत्मज मोतीलाल ।
    10/4. कमलेश पुत्री मोतीलाल ।
    10/5. गायत्री बेवा मोतीलाल निवासीगण ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
11. अनुराग पुत्र पांचूलाल ।
12. सुरज्या बाई पुत्री पांचू लाल ।
13. गणेश राम आत्मज ग्यारसी राम जाति कुम्हार ।
14. अर्जुन आत्मज किशनलाल जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 08.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 2016/00016 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं एवं अपील संख्या 17/00231 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. अपील संख्या 2016/00016 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट एवं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 06 लगायत 10 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मूण्डला में खसरा नम्बर 240 की रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि

स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार छुटन, काल्या, जुम्मा नजीर थे किन्तु उक्त भूमि पर प्रार्थी कम 01, 4 व 06 लगायम 08 व 10 एवं 11 के दादा व प्रार्थी कम 05 के दादी ससुर व प्रार्थी कम 09 के ससुर श्री गोबरी लाल जैली काश्त के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर गोबरी लाल के चारों पुत्र रामसुख, पांच्या, ग्यारसी लाल व किशनलाल जैली काश्तकार के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर भू –सुधार कार्य किया गया और नये खसरा नम्बर 657 रकबा 1.78 हैक्टर कायम किया गया । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त सवंत् 2003 के पूर्व से लगातार आज तक बहैसियत जैली काश्त के रूप में चला आ रहा है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण को कब्जा मुखालफाना प्राप्त हो चुका है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी अप्रार्थी कम 1, 2 व 3 के पिता मृतक कल्ला व मृतक नजीर व अप्रार्थी कम 05 जुम्मा के नाम दर्ज चली आ रही है इस कारण उनके मन में बदनियति आ गई है और वे उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें तथा उक्त भूमि को रहन, बेचान एंव अन्य किसी प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.08.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.08.2016 से व्यथित होकर प्रार्थीगण 1 लगायत 3, 05, 10 एवं 11 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का उनके पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट द्वारा षडयंत्र पूर्वक जरिये मुख्तार आम विवादित भूमि का विक्रय मनिन्दर कौर के पक्ष में दिनांक 26.06.2008 को कर दिया जबकि अपीलान्ट का वाद सन् 2006 से ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्टगण के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील सख्या 2017/00231 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 657 की रकबा 1.78 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नजीर, कल्ला बेटे करीब बख्श व जुम्मा बेटा अमीर बख्श के खाते में दर्ज है तथा शिकमी में पांचा, ग्यारसा, किशनलाल पिसरान गोबरया जाति कुम्हार दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर बरसों से खातेदारान की ओर से प्रतिवादीगण के पूर्वजों से भूमि पांती पर काश्त करायी जाती थी। कुछ समय से प्रतिवादीगण अपने–आपको इस भूमि के खातेदार बताने लगे हैं और गत 10 वर्षों से प्रतिवादीगण ने वादीगण को पांती काश्त करने का पैसा देना भी बन्द

कर दिया है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वापस प्राप्त करें ।

7. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम जो शिकमी के रूप में दर्ज है उसे हटाया जावे तथा वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.01.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 05 अपीलान्ट तुलसा बाई ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 100 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । वादीगण का रिकॉर्ड में 100 वर्षों से भी अधिक समय से जैली काश्त के रूप में दर्ज है तथा शिकमी काश्त के रूप में दर्ज है । वादीगण उक्त भूमि पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. अपील संख्या 2017/00231 में अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई थी उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तारीख पेशी नहीं दी गई । अपीलान्ट जब तारीख पेशी के लिए पूछने गये तो बताया कि आपकी पत्रावली तलाश करवा रहे हैं । दिनांक 26.04.2017 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय गई तब अपीलान्ट के वकील साहब ने उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दी। उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 28.04.2017 को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

11. अपील अपीलान्ट संख्या 2016/00016 दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपील संख्या 2017/00231 सब्जेक्ट टू लिमिटेश दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

12. अपील संख्या 2016/00016 में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 6 लगायत 10 के द्वारा एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्टगण कम 1 लगायत 4 के खिलाफ पेश किया गया था । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट कल 06 लगायत 10 गोबरी लाल के वारिस हैं । सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 240 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा था इस पर अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 6 लगायत 10 का पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है । संवत् 2003 से 2006 की नकल जमाबन्दी में जैली गोबरी लाल दर्ज है । सेटलमेंट के बाद खसरा नम्बर 240 के नये नम्बर 194 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा कायम किया और पुनः सेटलमेंट सम्वत् 2043–62 में इसके खसरा नम्बर 335 रकबा 1.93

हैक्टर कायम किये गये । केचमेंट के बाद इसके नये नम्बर 657 रकबा 1.78 हैक्टर कायम किये गये । वर्तमान जमाबन्दी में अपीलान्ट शिकमी काश्तकार दर्ज है । रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ सन् 2006 में दावा पेश किया था जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी की थी परन्तु इसी बीच षडयंत्रपूर्वक मनिन्दर कौर के नाम जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी विक्रय पत्र निष्पादित किया गया । मनिन्दर कौर को पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया । परीक्षण न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 30.08.2016 नियत थी । इससे पूर्व ही पत्रावली निकाली गई और अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र भी जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया था परन्तु नियत तिथि से पूर्व दिनांक 08.08.2016 को ही अवैध रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्टगण का है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

13. अपील संख्या 2017/00231 में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने एक दावा घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति हेतु वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार नजीर, कल्ला बेटा करीम बख्श एवं जुम्मा बेटा अमीर बख्श दर्ज है । शिकमी में पांच्या, ग्यारसा, किशनलाल पिसरान गोबरिया दर्ज है । प्रतिवादीगण कुछ समय से अपने–आपको खातेदार बताने लगे हैं और पिछले 10 वर्षों से वादीगण को पांती काश्त का पैसा देना बन्द कर दिया है । उनका कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से है । अतः उन्हें खातेदार घोषित किया जावे और प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम जो शिकमी के रूप में दर्ज है उसे हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को कोई सूचना दिये बिना निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं परिवार की पैतृक आराजी है इस पर 100 वर्षों से अपीलान्टगण का कब्जा चला आ रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में आराजी अपीलान्ट की जैली काश्त में दर्ज है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जब प्रभाव में आया तब से अपीलान्ट इस पर काबिज हैं । अपीलान्टगण एवं अन्य सहखातेदारान ने एक अन्य दावा परीक्षण न्यायालय में पेश कर रखा है इस दावे की पत्रावली परीक्षण न्यायालय द्वारा गायब कर दी गई है जब कॉस प्रकरण लम्बित है तो इन दोनों को समेकित कर निर्णय पारित करना चाहिए था । अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर के समक्ष पत्रावली गुम होने पर कार्यवाही करने और पत्रावली नहीं मिलने पर कार्यवाही स्थगित करने का पेश किया था परन्तु फिर भी निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

14. अपील संख्या 2016/00016 में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जैली को सब–टिनेन्ट नहीं माना गया है । इस कारण वादीगण वादग्रस्त आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी नहीं थे । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 बहाल रखा जावे ।

15. अपील संख्या 2017/00231 में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही हुई है तो उन्हें आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना

चाहिए जो उनके द्वारा पेश नहीं किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा संवत् 2012 की जमाबन्दी पेश नहीं की गई है । संवत् 2012 में सब–टिनेन्ट दर्ज होने की स्थिति में ही वो खातेदारी अधिकार की प्रार्थना कर सकते हैं । जैली को सब–टिनेन्ट नहीं माना जाता है । परीक्षण न्यायालय ने विधि–सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

16. हमने अपील संख्या 2017/00231 की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

17. अपील संख्या 2017/00231 में परीक्षण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक दावा हक घोषणा एंव बेदखली का अपीलान्ट एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण के खिलाफ पेश किया है । दिनांक 16.12.2016 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है । पत्रावली पर जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनमे से नकल जमाबन्दी संवत् 2012–15 प्रमाणित प्रति है परन्तु इसको प्रदर्श नहीं करवाया गया है । इसके अलावा कुछ अन्य फोटो प्रतियॉ भी पत्रावली पर संलग्न है इनको न तो प्रदर्श करवाया गया है और न ही ये प्रमाणित प्रतियॉ हैं ।

18. पीडब्ल्यू– 1 के रूप में शकीला, पीडब्ल्यू– 2 के रूप में निशान सिंह, पीडब्ल्यूडी– 3 के रूप में हसीना एवं पीडब्ल्यू–4 के रूप में प्रकाश चन्द के शपथ पत्र पेश किये गये हैं । ये शपथ पत्र न तो नोटरी से तस्दीकशुदा हैं और न ही शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर इन शपथपत्रों की ताईद की है । ऐसी स्थिति में इनको मौखिक साक्ष्य के रूप में नहीं पढा जा सकता । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के द्वारा सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

19. अपील संख्या 2016/00016 में पत्रावली का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय में चौथमल एंव अन्य ने एक दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रकरण में दिनांक 30.08.2016 की तारीख दिनांक 14.06.2016 को दी गई थी और इससे पूर्व ही एक आदेशिका लिखी गई है जिसमें कोई तिथि अंकित नहीं है और अगली आदेशिका दिनांक 08.08.2016 की अंकित की गई है और उसमें अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है और उभयपक्षकारान को दावे की पत्रावली को पुनः रि–इन्स्ट्यूट करने के निर्देश दिये हैं । दिनांक 08.08.2016 की आदेशिका पर कराये गये हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी के अनुसार समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । नियित तिथि दिनांक 30.08.2016 से पूर्व यदि सुनवाई की जाती है तो समस्त पक्षकारों को नोटिस दिया जाना अनिवार्य होता है । पत्रावली पर ऐसा कोई नोटिस संलग्न नहीं है । एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2016 मनिन्दर कौर और शकीला बानो का नजदीक तारीख पेशी का संलग्न है जबकि मनिन्दर कोर प्रकरण में पक्षकार नहीं है । इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है,ऐसा भी परीक्षण न्यायालय की पत्रावली

पर आदेशिका में अंकित नहीं है । इस प्रकार सीपीसी की पालना किये बिना, समस्त पक्षकारों को इत्तला किये बिना नियत तिथि से पूर्व अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । पीठासीन अधिकारी का इस प्रकार नियत तिथि से पूर्व बिना समस्त पक्षकारों को इत्तला दिये निर्णय पारित करना न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों व सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है व न्यायालय की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है ।

20. इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित दावे की पत्रावली परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार परीक्षण न्यायालय में तलाश करने पर नहीं मिल रही है और दोनों दावे एकदूसरे से सम्बन्धित थे । दावा संख्या 2016/151 में जो वादीगण है वो इस दावे में प्रतिवादीगण थे । दावा संख्या 2016/151 में वादीगण ने हक घोषणा एवं बेदखली की सहायता मांगी थी और क्रॉस – सूट में उसी वादग्रस्त आराजी के बाबत् वादीगण चौथमल एंव अन्य जो कि दावा संख्या 2016/151 में प्रतिवादी हैं के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता मांगी गई है । ऐसी स्थिति में दोनों दोनों को समेकित करते हुए एक साथ निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । साथ ही हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण चौथमल एवं अन्य को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं । तद्नुसार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित दोनों निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य हैं ।

21. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2016/00016 एवं अपील संख्या 2017/00231 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 एवं दिनांक 31.01.2017 निरस्त किये जाते हैं । दोनों प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दोनों दावों को समेकित करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । साथ ही अपील संख्या 2017/00231 में प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 19 में किये गये विवेचन के मध्यनजर न्यायिक प्रकिया की पूर्ण पालना करते हुए नये सिरे से निस्तारण करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

22. निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा